न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर म. प्र.

प्रकरण क्रमांक :– R / .... / 2018 / ग्वालियर / भू.रा.

निगरानी–4625/2018/ग्वालियर/भू.रा.

श्री पी. के. तिवारी
द्वारा आज दि. 13-7-18 को
प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक 8-8-18 नियत।

13.7.18

13-7-2018

सन्तोष कुमार पुत्र श्री बाबूलाल गुप्ता निवासी सी–52 बी.एस.एम. कालौनी महाराजपुरा भिण्ड रोड़ ग्वालियर मध्य प्रदेश –आवेदक

बनाम

मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलैक्टर ग्वालियर मध्य प्रदेश –अनावेदक

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 50 म. प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959

कार्यालय ... ग्वालियर
अग्रिम प्रति 4ए
पृष्ठ क्र. 1 से 12
दिनांक 13-07-18
हस्ताक्षर व नाम ...

न्यायालय अपर आयुक्त महोदय ग्वालियर संभाग ग्वालियर मध्य प्रदेश द्वारा प्रकरण क्रमांक 700/2016–17/अपील मे पारित आदेश दिनांक 21/05/2018 के विरूद्ध निगरानी

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4625/2018/ग्वालियर/भूरा

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3-10-18	आवेदकपक्ष अधिवक्ता श्री पी0के0तिवारी द्वारा ग्राहयता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21-5-2018 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि राजस्व अभिलेख में शासकीय नहर के रूप में दर्ज है इसलिये विचारण न्यायालय द्वारा पूर्ण विवेचना करने के उपरांत ही अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाकर आवेदक को प्रश्नाधीन भूमि से बेदखल किये जाने के आदेश दिये गये हैं जिसे दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा स्थिर रखने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । अत: अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित समवर्ती निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं होने से यह निगरानी अग्राहय की जाती है। अध्यक्ष	